बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025

"अधिसूचना"

अधिसूचना सं०–जी०सां०–05/2024/1305 /पटना दिनांक 02.09.2025

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः**–(1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
2. नियम 9 के उप नियम (1) में संशोधन– बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 9 के उपनियम (1) में अंक एवं शब्द "₹20/– (बीस रुपये)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "₹2/– (दो रुपये)" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. नियम 9 के उप नियम (2) में संशोधन– बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 9 के उपनियम (2) में–
   (i) अंक एवं शब्द "₹50/– (पचास रुपये)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "₹5/– (पाँच रुपये)" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
   (ii) "जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी" शब्द के पश्चात् " या मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी " शब्द अन्तः स्थापित किये जाएंगे।
4. नियम 9 के उप नियम (3) में संशोधन– बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 9 के उपनियम (3) में अंक एवं शब्द "₹100/– (एक सौ रुपये)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "₹10/– (दस रुपये)" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के० सेंथिल कुमार) 2/9/2025
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–जी०सां०–05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 (पाँच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव 2/9/2025
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०-05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः उप महारजिस्ट्रार (सी०आर०एस०), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011/ निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 8वां तल, सी-जी ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०-05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०-05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः निदेशक/मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०-05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी (जन्म और मृत्यु), पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति (स्वास्थ्य विभाग)/ICDS निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः जी०सां०-05/2024/1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपिः सभी जिला दण्डाधिकारी/जिला पदाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार/प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), बिहार/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार/नगर आयुक्त/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025

योजना एवं विकास विभाग,

ज्ञापांक: जी०सां०–05 / 2024 / 1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपि: सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / अधीक्षक / उपाधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद् / छावनी परिषद् / नगर पंचायत) / सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी / अवर सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी / रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) / उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: जी०सां०–05 / 2024 / 1305 / पटना, दिनांक 02.09.2025

प्रतिलिपि: आई0 टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/2025
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।